निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 30/2020 (रसद अपील)

मैसर्स कपिल सोनी प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान संख्या 588–ई, जयपुर शहर, जिला जयपुर जरिये मालिक फर्म कपिल सोनी।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.08.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 24.08.2020 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं 27/– रूपये प्रति किलोग्राम से गेहूं की राशि वसूल करने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.11.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 24.08.2020 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं 27/–रूपये प्रति किलोग्राम से गेहूं की राशि वसूल करने का आदेश पारित किया गया है, से व्यथित हो कर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया । प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 588 ई जयपुर शहर जिला जयपुर का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है, अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डों पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दैनिक भास्कर में दिनांक 21.03.2020 को फर्जी राशनकार्ड बनाकर चार साल में 15 क्विंटल गेहूं उठाने की व उसकी जांच शुरू होने के खबर प्रकाशित हुई। उक्त शिकायत

की जाँच जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी से जाँच करवाई गई। प्रवर्तन अधिकारी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को नोटिस संख्या 1158 दिनांक 27.06.2020 जारी किया तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने बिना तथ्यों की जाँच व विवेकाधिकार का प्रयोग किये बिना, अपीलार्थी को बिना सुने तत्काल प्रभाव से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र आदेश संख्या 1138 दिनांक 27.06.2020 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिया। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने नोटिस क्रमांक 1158 दिनांक 27.06.2020 अपीलार्थी को भेजा जिसमें निम्न अनियमितता होना दर्शाया गया। (क) आप द्वारा श्री हेम सिंह राठौड़ के राशनकार्ड संख्या 200001330808 में किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड संख्या ....8550 का प्रयोग कर माह जनवरी, फरवरी व अप्रेल 2020 में कुल 105 किलोग्राम गेहूँ का अवैध आहरण कर गेहूँ का दुरुपयोग किया गया है। (ख) आप द्वारा श्री हेम सिंह राठौड़ के राशनकार्ड संख्या 200001330808 में अटैच दुकान संख्या 588 डी की पोस मशीन कोड 7886 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड संख्या ....8550 में कुल 725 किलोग्राम गेहूँ तथा 10 लीटर केरोसीन माह सितम्बर 2017 से दिसम्बर 2017 तक अवैध आहरण कर गेहूँ/केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है। (ग) आप द्वारा श्री हेमसिंह राठौड़ के राशनकार्ड संख्या 200001330808 में अटैच दुकान संख्या 588 डी की पोस मशीन कोड संख्या 7887 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड संख्या ....8550 का प्रयोग कर माह नवम्बर 2018 में 25 किलोग्राम गेहूँ का अवैध आहरण कर गेहूँ का दुरुपयोग किया गया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलार्थी को ना तो शिकायत पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई तथ ना ही प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट जिसको आधार मानकर कारण बताओ नोटिस जारी किया की प्रति दी गई। अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 08.07.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसका नोटिस में हवाला दिया हुआ है तथा शिकायत पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं हुई। अपीलार्थी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का दिनांक 27.07.2020 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट किया कि हेम सिंह राठौड़ द्वारा ही स्वयं के नाम से दोनों राशनकार्ड (राशन कार्ड संख्या 118002013797 व 200001330808) बनवाये गये थे। अपीलार्थी ने तथाकथित ई–मित्र पर दिया है ना ही कार्यालय से जारी करवाया है। अपीलार्थी को यह भी जानकारी नहीं है कि उक्त राशनकार्ड किसके पास है, उसमें किस–किस के आधार दर्ज है तथा राशन सामग्री किसके द्वारा प्राप्त की गई है कार्ड पर वितरण की समस्त प्रक्रिया पोस मशीन में विभाग द्वारा दर्ज आंकड़ों व निर्देशों के अनुसार ही की गई है तथा श्री हेम सिंह राठौड़ राशन कार्ड धारक के राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों में से एक सदस्य बायोमैट्रिक प्रणाली से अंगूठा सत्यापन के बाद ही उन्हें राशन सामग्री दी गई है। अपीलार्थी को यह जानकारी नहीं है कि आधार कार्ड संख्या ....8550 कार्ड धारक के परिवार के किस सदस्य का है । एन एफ एस ए 2012 लागू होने के बाद केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार पोस मशीन के माध्यम से वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु पोस पर बायो मैट्रिक सत्यापन के पश्चात कार्ड धारक अथवा कार्ड धारक के परिवार के किस भी सदस्य का अंगूठा सत्यापन होने के बाद ही राशन सामग्री के भौतिक रूप से वितरण किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा पोस में आधार कार्ड एवं अन्य प्रविष्टियां की गई है जिनमें राशन डीलर के स्तर पर किसी भी प्रकार का लोप/संशोधन सम्भव नहीं है। दुकान पर जो भी व्यक्ति राशन कार्ड ले कर आया एवं जिसका भी आधार नम्बर उक्त कार्ड में दर्ज है उस व्यक्ति के अंगूठा मशीन से बायोमैट्रिक प्रणाली से स्वीकृति पश्चात ही राशन सामग्री वितरित की गई है। दिनांक 27.07.2020 को जवाब प्रस्तुत करने के बाद उक्त मामले में दिनांक 31.07.2020 तारीख पेशी

बतलाई गई । दिनांक 31.07.2020 व 13.08.2020 की कार्यवाही नहीं हुई । दिनांक 24.09.2020 को जिला रसद अधिकारी ने एक तरफा आलौच्य निर्णय पारित कर दिया । दिनांक 21.05.2020 को श्री अरविन्द सिंह प्रवर्तन अधिकारी डिवीजन संख्या 13 द्वारा प्रस्तुत जिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व उक्त कार्यवाही संस्थित की गई तथा जिसके आधार पर अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, की प्रतियां अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस के साथ नहीं भेजी गई। जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की घोर अवहेलना हुई है जैसा कि (1) ए आई आर 2016 पटना 148 रामचन्द्र प्रसाद यादव बनाम स्टैट ऑफ बिहार व अन्य (2) ए आई आर 2010 (एन ओ सी) (सुप्रीम) 706 (ओल) (ए) एवं (3) 1988 ई एफ आर 475 शहादत हुसैन बनाम सब डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटर खाद्य फूड एण्ड सप्लाई कटेवा वर्धमान में विनिश्चय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने ना तो उक्त मामले में कोई जांच की और ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिया जो कि आर्डरशीट दिनांक 31.07.2020, 13.08.2020 व 24.08.2020 से स्पष्ट है। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में मात्र यह कथन किया है कि " डीलर का जबाब संतोषजनक नहीं है । दुकानदार ने प्रस्तुत जबाब में अवगत कराया है कि श्री हेम सिंह राठोड के राशन कार्ड संख्या 200001330806 में आधार कार्ड के अंगूठा सत्यापन बाद ही गेहूं दिया गया है परन्तु यह भी स्वीकार है कि उन्हें नहीं मालूम कि पोस मशीन में उर्मिला कंवर के आगे लगा आधार कार्ड .....9550 राशन कार्ड के परिवार के किस सदस्य का है। जबकि उर्मिला कंवर का असली आधार कार्ड संख्या 582950998206 है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुसार एक एफ पी एस दुकानदार की जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधारकार्ड का सत्यापन करके गेहूं की सही सही निकासी करे। उक्त प्रकरण में एफ पी एस डीलर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड संख्या का प्रयोग कर गेहूं का अवैद्य आहरण किया गया है । प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 17 के अनुसार रिकार्ड मे गलत/झूंठी प्रविष्टी कर खाद्यान्न का आहरण करना अनुचित है। आधार कार्ड को लिंक करने का कार्य उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ही किया जाता है। उपभोक्ता के राशन कार्ड में परिवार के अलावा दीगर व्यक्तियों के आधारकार्ड को लिंक करके गेहूं की अवैद्य निकाशी राशन डीलर की संलिप्ता के बिना सम्भव नही है। जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय अपील के जबाब पर विचार किये बिना पारित किया गया है। जिला रसद अधिकरी ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो परिवादी का परीक्षण किया, ना अपीलार्थी को उससे प्रतिपरीक्षण करने का मौका दिया, ना दोनों मूल राशन कार्ड आधार कार्ड, जब्त किये, ना प्राधिकार पत्र जब्त किया, ना ही कोई जांच की । यहां तक राशनकार्ड धारक के बयान अपीलार्थी की मौजूदगी में भी नहीं किये गये ओर ना ही अपीलार्थी को उससे प्रति परीक्षण करने का अवसर दिया गया । ना ही यह जानने का प्रयास किया कि किस ई मित्र संचालक के माध्यम से राशनकार्ड धारी उस ई–मित्र संचालक से कोई जिला रसद कार्यालय द्वारा एक ही व्यक्ति को दो राशन कार्ड कैसे जारी कर दिये। इसकी कोई जांच नही की गई। जबकि पूर्ण जांच निर्धारित प्रकिया का विभाग द्वारा राशनकार्ड बनाये जाते है, उस अधिकारी से भी कोई पूछताछ नहीं की । ना ही यह जांच की कि एक ही पते पर एक व्यक्ति के दो राशनकार्ड कैसे जारी हो गयें। विभाग द्वारा एवं आवेदन पत्र निरस्त क्यों नहीं किया गया । इस संबंध में पूर्ण साक्ष्य जुटाये जाने चाहिये थे। पुराना आवेदन पत्र निरस्त हुये बिना आवेदनकर्ता (राशनकार्डधारी) द्वारा दूसरा फार्म भर कर क्यों दिया। उस आवेदन पत्र की निरस्त क्यों नहीं करवाया। जबकि दोनों राशनकार्डधारी आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये है। उनके आधार पर विभाग द्वारा राशन कार्ड

जारी किये गये है, जिसके लिए दुकानदार को इसके लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में आधार कार्ड को लिंक करने का कार्य उचित मूल्य दुकानदार ही किया जाता है कि जिम्मेदारी उचित मूल्य दुकानदार पर गलत डाली है। जिसके संबंध में उन्होने ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र कमांक एसफ 6 ( ) खा. वि/कम्फट/यूकुआईटी/2010–11 दिनांक 21.04.2015, 22.09.20215, 19.11.2015, 05.08.2016, 24.03.2017 का सही ढंग से अवलोकन नही किया जिसके अनुसार आधार आई डी एवं बैंक संबंधित सूचना राशन कार्ड डाटाविस में सीविंग किये जाने का कार्य सूचना एवं प्रोद्योगिक विभाग तथा जिला रसद अधिकारियों द्वारा ही किया गया है। दुकानदार द्वारा नहीं किया जाता है उसका यूज्ड आईडी व पासवर्ड जिला रसद अधिकारी के पास ही था । दुकानदार के पास नहीं था। ऐसी स्थिति में दुकानदार का आधार कार्ड को लिंक करने या उसमें संलिप्तता किसी भी प्रकार से सम्भव नही होने से साबित नहीं होती है। जबकि उक्त सभी तथ्य का परीक्षण जिला रसद अधिकारी द्वारा मामले की जांच के दौरान करने चाहिये थे। इस सम्बन्ध में ए आई आर 2020 आन्ध्रा प्रदेश 128 के मधुसूदन नायडू बनाम स्टैट ऑफ आन्ध्र प्रदेश एण्ड अन्य में विनिश्चिय किया गया है। जिला रसद अधिकारी के इस तथ्य की जांच नहीं की तथा ना ही पूछताछ की गई जब उपभोक्ता श्री हेम सिंह के राशनकार्ड पर राशन सामग्री का वर्ष 2015 से उठाव होता रहा है और ओटीपी उसके मोबाईल पर आती रही तो उसके द्वारा वर्ष 2020 में शिकायत क्यों की गई । वर्ष 2015 से 2020 तक राशन सामग्री का उठाव उसके द्वारा किया गया या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया । अन्य व्यक्ति कौन था, इसकी सम्पूर्ण जांच होना आवश्यक है। इस राशनकार्ड पर वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक अन्य दुकान से राशन सामग्री का उठाव किया जाता रहा है जिसके लिए डी एस ओ व उपभेक्ता द्वारा कोई आपत्ति नही की गई और ना ही कोई एक्शन लिया गया। जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ राशन कार्ड हिस्ट्रीशीट व आवेदन पत्र राशनकार्ड व आधार कार्ड की छाया प्रति सलंग्न की है व सही व प्रमाणित है । इस बाबत कोई जांच नही की और ना ही मूल साक्ष्य तलब किया। जबकि मूल साक्ष्य व संलग्न साक्ष्य सही व प्रमाणित होने का प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक था उसका बिना सत्यापन व परीक्षण किये जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराया है जो कि साक्ष्य अधिनियम के विरूद्व है। (1) दोनों मूल राशन कार्ड (2) दोनों आधार कार्ड (3) दोनों मूल आवेदन पत्र (4) राशन कार्ड की हिस्ट्रीशीट पर जांच अधिकारी के साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 कि अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये था। उक्त साक्ष्य के अभाव में जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आलौच्य आदेश निरस्तनीय है। जैसा कि एक आईआर 2007 एस एस 1721 श्रीमती जे. यशोदा बनाम श्रीमती के. शोभारानी में विनिश्चय किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्व आरोप यह नही है कि उसके द्वारा गेहूं का वितरण नही किया गया या उपभोक्ता को गेहूं नही मिला, जिन राशनकार्ड धारी द्वारा गेहूं का उठाया गया का जिन अधिकारियों ने उसके नाम भामाशाह कार्ड बनाया उन्हें बिना साक्ष्य बुलाये तथा उनसे जांच किये बिना जो निर्णय पारित किया वह अवैद्य व मनमाना है। जिला रसद अधिकारी ने शिकायतकर्ता/राशनकार्ड धारक से अपीलार्थी को प्रतिपरीक्षण करने का कोई मौका नहीं दिया तथा ना ही जो आधार फर्जी बताया गया है के संबंध में कोई जांच की उनके द्वारा एक तरफा निर्णय पारित कर भारी भूल की है। आदेश 1976 के खण्ड 3(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार कोई प्राधिकार धारक राशनकार्डो पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ के विकय का वितरण पर इन्कार नहीं कर सकता

कलक्टर
जयपुर

तथा शर्त संख्या 15 के अनुसार उक्त विवरणिका इन्द्राज निर्धारित स्थानों पर करने हेतु प्राधिकार धारक पावंद है। आदेश 1976 के उन प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गेहूं का विक्रय राशनकार्ड में दर्ज है। वर्तमान में राशन कार्ड धारक उपभोक्ता को यह अवसर दिया गया है कि वह किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड पर सामग्री प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी को किसी प्रकार की कालाबाजारी करते हुये नहीं पकडा गया । संदेह के आधार पर किसी को दोषी नही ठहराया जा सकता है जब कि उसके विरूद्व कोई स्पष्ट व ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी से गेहूं की कुल राशि 23068/– रूपये जरिये चालान संख्या 1050093327 दिनांक 11.04.2021 जमा करवा ली है। जिला रसद अधिकारी ने अन्य मामलों में उपरोक्त अनियमितता के लिये केवल मात्र गेहूं की कीमत जमा करा कर प्राधिकारधारक का प्राधिकार पत्र बहाल किया है।–(1) प्रकरण संख्या 510/2019 निर्णय दिनांक 17.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश सोनी (2) प्रकरण संख्या 622/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री संजय कुमार नीगा (3) प्रकरण संख्या 588 सी/2020 निर्णय दिनांक 29.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री मैसर्स शिवरण सिंह नरूका एवं (4) प्रकरण संख्या 582/2020 निर्णय दिनांक 05.08.2020 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स सुमित्रा देवी उल्लेखनीय है। जहां उक्त उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र बहाल रखा गया और उनसे गेहूँ की कीमत जमा करा ली गई तब अपीलार्थी से गेहूँ की कीमत जमा करवाने के बावजूद उसके प्राधिकार पत्र को निरस्त किया है वह किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। एक ही प्रकार के मामलो में दो अलग–अलग निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र इकतरफा में निरस्त करने का आदेश पारित किया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। जिससे आदेश अवैद्य होने से निरस्तनीय है। इस सम्बन्ध में ए.आई.आर. 2018 झारखण्ड 137 सीताराम पहाडिया बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड व अन्य में व्याख्या की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अवगत कराया है कि श्री हेम सिंह राठौड के राशनकार्ड संख्या 2000001330806 में आधार कार्ड के अंगूठा सतयापन बाद ही गेहूं दिया गया है परन्तु यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें नहीं मालुम कि पोस मशीन में उर्मिला कंवर के आगे लगा आधरकार्ड संख्या XXXXXX9550 राशनकार्ड धारक के परिवार में से किस सदस्य का है जबकि उर्मिला कंवर का असली आधारकार्ड 5629 5059 8206 है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अनुसार एफ पी एस दुकान की जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधार कार्ड का सत्यापन करके गेहूं की सही–सही निकासी करे। उक्त प्रकरण में एफ पी एस डीलर द्वारा बिना किसी अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड संख्या का प्रयोग कर गेहूं का अवैद्य आहरण किया गया है। प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 17 के अनुसार रिकार्ड में गलत/झूंठी प्रविष्टि कर खाद्यान्न का आहरण करना अनुचित है। आधारकार्ड को लिंक करने का कार्य उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ही किया जाता है । उपभोक्ता के राशनकार्डो में परिवार के अलावा दीगर व्यक्तियों के आधार कार्ड को लिंक करके गेहूं की अवैद्य निकासी राशन डीलर की संलिप्ता के बिना सम्भव नहीं है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का

उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। तथा फर्जी आधारकार्ड लिंक करके अवैद्य रूप से निकाले गेहूँ की निर्धारित दर 27/– रूपये प्रति किलोग्राम की डीलर से वसूली किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर राशन कार्ड संख्या 200001330806 में दीगर व्यक्ति का आधारकार्ड को लिक करके गेहूं की निकासी कर किये जाने की अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशन कार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड संख्या 200001330806 पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्व कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधार कार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये। इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाये गये है ? यह भी जांच का विषय है, की क्या आधारकार्ड डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलो में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.08.2020 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें । आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

11 निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

12 निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

25/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर